न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	मुला कलाम सरकार श्रीमान जी, इजराय पेश है। 1. क्षेत्राधिकार में है। 2. कोर्ट फीस चस्पा है। 3. समयावधि पूर्ण है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रेषित है। SDOSb [signature] 28/10/16
28/10/16	डिक्रीदार मय वकील उप०। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय में अपील, स्थगन आदेश नहीं हो तो इस डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी हो। आयन्दा पत्रावली दिनांक 15/12/16 को पेश हो। [signature]
	15/12/16 अब तक डिक्री पालना रिपोर्ट [illegible] पत्रा. दिनांक 23/3/17 को पेश हो। [signature]
	11/2/17 आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि डिक्री की पालना दिनांक 16-11-16 से पालना की में इन्तकाल नं. 2156 [illegible] पत्रावली पर जा चुकी है। यह रिपोर्ट पटवारी पत्रावली शामिल की जाती है। लिहाजा राष्ट्रीय लोक अदालत में [illegible] पत्रावली निस्तारित कर [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। [signature] [signature] एडवोकेट [signature]

प्रमाणित द्वारा प्रति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

राजस्व वादपत्र सं0 187/2011

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

दायरा दिनांक 22.9.2011

निर्णय दिनांक 16.9.16

अनुवान

मूला बनाम राज. सरकार

1. मूला पुत्र श्री रघूवीर उम्र करीब 85 साल साकिन अहीर ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 ।

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार साहब, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. उप–पंजियक महोदय, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
3. लीली बेवा रियात जाति अहीर ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज.0।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 टी0 ऐ0 1955

उपस्थितः

1. श्री अधिवक्ता,

निर्णय

द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादी की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान 1494/0.1400, 1497/0.2600, 1519/0.0300, 1551/0.1600, 1553/0.1400, 1578/0.1400, 1902/0.2800, हैक्टयर किता 7 रकबा 1.1500 हैक्टयर मुताबिक खाता सं. 227 वाके ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में 1/2 भाग मिन वादी का 1/2 भाग मिन वादी के भाई रियात उर्फ रायसिंह का था। विवादित आराजी में जो 1/2 भाग रियात उर्फ

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रायसिह का था वो रियात उर्फ रायसिह की फौतगी के बाद उसकी पत्नी लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड में हो गया। लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह फौत हो गई। जिसका एकमात्र वारिस मिन वादी ही है। इस तरह विवादित आराजीयात सम्पूर्ण पर मिन वादी ही काबिज वो दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर मिन वादी का ही वास्तविक कब्जा काश्त हैं । मिन वादी व मिन वादी के भाई रियात उर्फ रायसिह की आराजी वाके ग्राम सिलपटा में भी स्थित हैं ग्राम सिलपटा की आराजी में भी मिन वादी का 1/2 भाग व 1/2 भाग मिन वादी के भाई रियात उर्फ रायसिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह का था। रियात उर्फ रायसिह की फौतगी के बाद उसके 1/2 भाग की आराजी उसकी पत्नी लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई। लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह फौत हो गई। उसके बाद ग्राम सिलपटा की आराजी पर मिन वादी तन्हा काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकोर्ड में भी मिन वादी के नाम का ही अंकन हो रहा है। लीली की फौतगी के बाद लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह की विरासत मिन वादी के नाम इंतकाल सं. 225 वाके ग्राम सिलपटा ग्राम पंचायत कान्हडका द्वारा दिनांक 20.5.1986 दर्ज किया गया। व इंतकाल सं 415 के द्वारा रियात उर्फ रायसिह की विरासत ग्राम पंचायत मकडावा द्वारा दिनांक 28.8.2006 को मिन वादी के नाम दर्ज वो स्वीकार किया गया। दिनांक 16.9.2011 को मिन वादी ने हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु प्राप्त की तो उसमें लीली बेवा रियात का अंकन 1/2 भाग में पाया। जबकि लीली बेवा रियात पूर्व मे ही फौत हो चुकी हैं ग्राम सिलपटा में लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह नामक कोई महिला नही है। मिन वादी ने उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने कर निवेदन दिनांक 16.9.2011 को ही प्रतिवादी सं. 1 से किया तो वो दुरूस्त करने से साफ इंकार हो गया और कहा कि अदालत के आदेश लेकर आओ। विवादित आराजी पर मिन वादी ही तन्हा काबिज काश्त है। मौके पर मिन वादी का ही वास्तविक कब्जा काश्त हैं। इसलिये मिन वादी विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड से लीली बेवा रियात का नाम हजफ करवाकर उसके 1/2 भाग का अंकन मिन वादी अपने नाम दर्ज करवाकर सम्पूर्ण विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकोर्ड में घोषित करवाने का अधिकारी है। जिसके लिये मिन वादी को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। बिमला पत्नी श्री रामकुंवार ग्राम छुरियावात तहसील व जिला रेवाडी हरि0 रियात उर्फ रायसिंह की फर्जी पत्नी लीली बेवा रियात बनकर विवादित आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करने की जुस्तजु में है। जबकि लीली बेवा रियात उर्फ रायसिह नामक महिला ग्राम सिलपटा में नहीं है। बिमला पत्नी रामकुंवार लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह बनकर प्रतिवादी सं0 2 से साज–बाज होकर दीगर लोगों को विवादित

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आराजीयात बेचान करना चाहती हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन वादी को अपनी अधिकारों की आराजी से वंचित होना पडेगा। दीगर मुकदमा बाजी में फसंना पडेगा। अजहद की हानि होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद करवाने को अधिकारी है। मिन वादी के दावा हाजा में हक वो हकूक कानूनन रक्षित है। इसलिये मिन वादी को अपने हकूको की रक्षार्थ यह वादपत्र पेश करना लाजिम आया है। वादपत्र हेतू बिनायदवामी वो बिनायमुखासमत दिनांक 16.9.2011 को पैदा हुऐ है। जिससे वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। प्रतिवादी सं. 1 वो 2 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उन्हें 80 जा. दी. के तहत दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मिन वादी को उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्त करवाकर अपनी आराजी का कृषि विस्तार करने हेतु किसान केडिट कार्ड बनवाना है। जिससे कि मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं. 1 वो 2 को 80 जा. दी. का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिये उन्हे रफाऐं उज्रात 80 (2) जा. दी. का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया जा है। अतः– प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अः– डिकी इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 1494/0.14, 1497/0.26, 1519/0.03, 1551/0.16, 1553/0.14, 1578/0.14, 1902/0.28, हैक्टयर किता 7 कुल रकबा 1.1500 हक्टेयर वाके ग्राम कान्हडका तह0 कोटकासिम से प्रतिवादिया सं. 3 लीली बेवा रियात का नाम हजफ कर उसके 1/2 भाग का अंकन को राजस्व रिकोर्ड में हो रहा हैं वो वादी के नाम दर्ज कर वादी को सम्पूर्ण आराजीयात का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे। बः– डिक्री इजरय हुक्मईम्तनाई दवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजीयात को कही दीगर जगह रहन–बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, मौका व राजस्व रिकौर्ड की यथास्थिति कायम रखे। प्रतिवादी सं0 2 विवादित आराजीयात बाबत कोई भी दस्तावेजात पंजिबद्व व तस्दीक नहीं करे। सः– अन्य दीगर दादरसी जो अदालत हाजा मुनासिब समझे वादी को अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर दिया गया।

प्रतिवादी 3 की तामील होने के बावजूद सूचना के हाजिर अदालत नहीं होने से प्रतिवादी 3 के विरुद्ध एकतर्फा कार्यवाही की गई।

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

सरकार पैरोकार जवाब में राज्य हित नहीं होना दर्ज किया गया है।

वादी द्वारा दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068, नकल नामा0 सं0 225 वाके ग्राम सिलपटा, नकल नामा0 सं 415 वाके ग्राम सिलपटा पेश किये। साक्ष्यवादी मूला, जयसिंह मामचन्द के शपथपत्र पेश किये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजीयात में 1/2 भाग मिन वादी का 1/2 भाग मिन वादी के भाई रियात उर्फ रायसिंह का था। रियात उर्फ रायसिह की फौतगी के बाद उसकी पत्नी लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड में हो गया। लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह फौत हो गई। जिसका एकमात्र वारिस मिन वादी ही है। इस तरह विवादित आराजीयात सम्पूर्ण पर मिन वादी ही काबिज वो दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर मिन वादी का ही वास्तविक कब्जा काश्त हैं लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह फौत हो गई। उसके बाद ग्राम सिलपटा की आराजी पर मिन वादी तन्हा काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकोर्ड ग्राम सिलपटा ग्राम पंचायत मकडावा की आराजी मिन वादी के नाम तन्हा दर्ज हो चुकी है। ग्राम कान्हडका की आराजी में दिनांक 16.9.2011 को मिन वादी ने हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी वास्ते किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु प्राप्त की तो उसमें लीली बेवा रियात का अंकन 1/2 भाग में पाया। जबकि लीली बेवा रियात पूर्व मे ही फौत हो चुकी हैं ग्राम सिलपटा में लीली बेवा रियात उर्फ रायसिंह नामक कोई महिला नही है। मिन वादी ने उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने कर निवेदन दिनांक 16.9.2011 को ही प्रतिवादी सं. 1 से किया तो वो दुरूस्त करने से साफ इंकार व अदालत के आदेश लेकर आने का कहा । इसलिये मिन वादी विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड से लीली बेवा रियात का नाम हजफ करवाकर उसके 1/2 भाग का अंकन मिन वादी अपने नाम दर्ज करवाकर सम्पूर्ण विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकोर्ड में घोषित करवाने का अधिकारी है। जिसके लिये मिन वादी को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया है। बिमला पत्नी श्री रामकुंवार ग्राम छुरियावात तहसील व जिला रेवाडी हरि0 रियात उर्फ रायसिंह की फर्जी पत्नी लीली बेवा रियात बनकर विवादित आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करने की जुस्तजु में है।यदि प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन वादी को अपनी अधिकारों की आराजी से वचित होना पडेगा। दीगर मुकदमा बाजी में फसंना पडेगा। अजहद की हानि होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन वादी

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद करवाने को अधिकारी है। मिन वादी के दावा हाजा में हक वो हकूक कानूनन रक्षित है। वादपत्र हेतू बिनायदवामी वो बिनायमुखासमत दिनांक 16.9.2011 को पैदा हुऐ है। जिससे वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। प्रतिवादी सं. 1 वो 2 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उन्हें 80 जा. दी. के तहत दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं. 1 वो 2 को 80 जा. दी. का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिये उन्हे रफाऐं उज्रात 80 (2) जा. दी. का प्रार्थनापत्र अलग किया है। अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगणय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर विवादित सम्पूर्ण आराजीयात का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबंद किया जावे

मेरे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार ने राज्य हित नही होना अपने जवाब में दर्ज किया है। पेश किये रिकार्ड के अनुसार वादी विवादित मृतक लीली का जायज वारिस होने से लीली मृतक की विवादित आराजीयात वाके ग्राम कान्हड़का पर खातेदारी पाने का अधिकारी बखूबी साबित है। साक्ष्यवादी से लीली बेवा का एक मात्र वारिस वादी ही बताया गया है। अतः वादी को विवादित आराजी वाके ग्राम कान्हडका पर खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत है।

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 1494/0.14, 1497/0.26, 1519/0.03, 1551/0.16, 1553/0.14, 1578/0.14, 1902/0.28, हैक्टेयर किता 7 कुल रकबा 1.1500 हक्टेयर वाके ग्राम कान्हडका तह0 कोटकासिम से प्रतिवादिया सं. 3 लीली बेवा रियात का नाम हजफ कर उसके 1/2 भाग को हजफ करने के आदेश दिये जाते है। व वादी को उपरोक्त सम्पूर्ण आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.9.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner